

18.6.2018

पञ्जाबी राजस्व सेवा अधिनियम 1971 के तहत प्रकाश प्रकाश पर
प्रस्तुत हुई। प्राथमिक के अधिकार
अधिकृत। ये सेवाएँ सजाएँ उपस्थित।
अपनी शैक्षणिक अनुपस्थित। इतः इतक
विकल्प एक पञ्जीय कार्य नहीं की जाती
है। प्राथमिक के अधिकार के प्राप्ति
अन्तर्गत अधिनियम 9. R-9 उपस्थित धारा
151 जा. डी. पर बहस वाली पाटी
जिससे प्राथमिक सेवा की बहस
सुनी गई।

प्राथमिक के अधिकार के बहस
बहस प्राप्ति में विहित शर्तों को
देखाया तथा प्राप्ति स्वीकार किया
जाकर आचार्य द्वारा बाद प्राप्ति संख्या
177/2016 को दिनांक 6.6.2017 को दिनांक
हाजरी में खासियत किया जिसे पुनः
नम्बर पर लेने बाबत आचार्य का
द्वारा आह्वित किया। विपरीत 2 अप्रैल 2018
पञ्जाब है। प्राप्ति प्राप्ति का अवलोकन किया
तथा प्राथमिक के अधिकार की बहस
पर गहनता से प्रश्न किया।

प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रां. प्र. 0-9 R-9
 संबंधित धारा 151 जा.दी. में अंकित लक्षण
 प्रथम दृष्टिगत उचित उचित होते हैं इसके
 अतिरिक्त प्रार्थना द्वारा प्रां. प्र. की
 समुची में शपथ पर भी प्रस्तुत किया गया
 है। अतः आदेश दिए जाते हैं कि:-

आदेश

प्रार्थना का प्रां. प्र. आदेश 9 निम्न 9
 संबंधित धारा 151 जा.दी. का खींचा किया
 जाता है तथा इस न्यायालय के बाद
 तिथि 17/1/2016 विभाजन बनाम गोरधन लाल
 अर्काह धारा 88, 89-188 R-TA को
 दिनांक 6.6.2011 को कार्रज किया गया
 (अपघ हाजरी में) जिसे पुनः नम्बर पर
 लिखे जाने बाबत आदेश दिए जाते
 हैं। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की
 जावे।

परावली बाद शांता रजिस्ट्रार को
 फौजदारी अदालत नम्बर से कात हो।

(Signature)